संख्या-: 5/2022/I/216848/2022-3-1099/33/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 2022

विषयः- सशस्त्र बलों के कार्मिक, सेवानिवृत्त कर्मी, अधिकारी और उनके परिजनों के साथ स्नेह और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उनके कार्यों का शीघ्र निस्तारण किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

देश के थलसेना, नौसेना, वायुसेना और केन्द्रीय सशस्त्र बल जैसे बी0एस0एफ, आई0टी0बी0पी0 और सी0आर0पी0एफ0 आदि के कर्मी विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा एवं सुरक्षा में तत्पर रहते हैं तथा अपने घर-परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर जोखिम भरे इलाकों और खराब मौसम में भी देश की सुरक्षा में ये दिन-रात लगे रहते हैं। इन कार्मिकों के अनेक ऐसे व्यक्तिगत/पारिवारिक कार्य रहते हैं, जो राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों/कार्यालयों से संबंधित होते है, जिनके लिए इन कार्मिकों /परिवारीजनों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे कार्मिक कम समय के लिए घर आते हैं और इनको अपने घरेलू कार्यों के निस्तारण में काफी कठिनाई होती है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इन सशस्त्र बलों के कार्मिक या उनके परिवार के लोग जब किसी सरकारी कार्य हेतु सरकारी कार्यालय में जाएँ तो उनके साथ स्नेह और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उनके कार्यों का शीघ्र निस्तारण किया जाए जिससे वे अपनी घरेलू समस्याओं से निश्चिंत होकर न केवल अपने कार्य को भलीभाँति कर सकें बल्कि और अधिक बुलन्द हौसले के साथ देश की सेवा में तत्पर रहें।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि थलसेना, नौसेना, वायुसेना और केन्द्रीय सशस्त्र बल जैसे बी0एस0एफ, आई0टी0बी0पी0 और सी0आर0पी0एफ0 आदि के कार्मिक या उनके परिवार के सदस्यों के राज्य सरकार के कार्यालयों से संबंधित कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जाय एवं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाय।

4. कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/निगम/कार्यालय आदि को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in